न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3115 सन 2026
CNR. No.UPSP010073122026

नाजिम पुत्र कय्यूम, निवासी ग्राम पाण्डौली, थाना नागल, जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 70/2026
धारा 3(5), 109(1) बी0एन0एस0
थाना नागल, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

20.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **नाजिम** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त 10.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अय्युब पुत्र कय्यूम का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.02.2026 को उ0 नि0 जितेद्र सिंह मय अन्य हमराहीयान थाना से रवाना होकर दौरान देख रेख मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम शीतलाखेडा से ग्राम नैनसोब जाने वाले रास्ते पर निर्माणधीन हाईवे के पुल के नीचे एक मोटरसाईकिल पर सवार तीन व्यक्तियों को पकडने पर उपरोक्त व्यक्तियो द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें पुलिस बल बाल–बाल बचा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ न्यूनतम फायर किया गया तो कुछ देर बाद बदमाश की तरफ से फायरिंग बन्द होने पर उसके पास जाकर देखा तो बदमाश करहा रहा था, और उसकी दाहिनी टांग से खून बह रहा था तथा दो व्यक्ति मौके से फरार हो गए। उक्त घायल बदमाश का नाम व पता पूछते हुए, जामा तलाश ली गयी तो उसने अपना नाम रागिब पुत्र अब्दुल रहीम बताया तथा इसकी तलाशी में एक तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। मौके से फरार व्यक्तियों के नाम नाजीम एवं शहजाद बताया। अभियुक्त से बरामद अस्लाह एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल के लाईसेंस तलब किए गए तो दिखाने में कासिर रहा। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। मौके से बरामद तमंचा एवं कारतूस को सील सर्वे मोहर कर फर्द तैयार की गयी तथा उक्त फर्द के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वह निर्दोष हैं और उसे मुकदमा उपरोक्त में रंजिश के आधार पर झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी का सहअभियुक्त रागिब द्वारा बताया गया है, जबकि उक्त घटना वाले दिन प्रार्थी व प्रार्थी का भाई ग्राम भागरेकी गए हुया था, और पूरी राम प्रार्थी अपनी भाभी के मायके मे ही रहा है तथा दिनांक 01.03.2026 को जब प्रार्थी व उसका भाई अपनी भाभी के को छोडकर अपने गांव आ रहे थे तो पुलिस द्वारा प्रार्थी को पकड लिया गया, और प्रार्थी व उसके भाई को आसन वाली पुलिया पर ले जाकर प्रार्थी व उसके भाई की टांगो में गोली मारते हुए, प्रार्थी व उसके भाई के विरूद्ध मु0अ0सं0–80/2026 व 79/2026

में फरार अभियुक्तगण की जगह प्रार्थी व प्रार्थी भाई का नाम खोलकर जेल भेज दिया गया। प्रार्थी पूर्व सजायाफता नही है। प्रार्थी दिनांक 10.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध सहअभियुक्त के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने तथा आवेदक/अभियुक्त मौके से फरार होने का आक्षेप है। केस डायरी पर उपलब्ध फर्द बरामदगी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त मौके से फरार होना तथा मौके पर गिरफतार सहअभियुक्त रागिब के बयान के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का नाम इस मामले में प्रकाश में आना दर्शित है। केस डायरी के अवलोकन से कथित घटना में किसी भी पुलिस कर्मी को आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना दर्शित नही है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी होना अभिकथित नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 10.07.2026 से इस मामले में जेल निरूद्ध है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास में दर्शित अन्य सभी मुकदमों में आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत पर होने का कथन किया गया है। मौके से पकडे गए सहअभियुक्त रागिब का जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1103.2026 को स्वीकार किया जा चुका है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **नाजिम** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–20.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891